



2) श्री सुन्दर
व्यास पेशा / 19-10-12
सुन्दर

R-1682-11/13

690
19-10-12

- (1) दीनानाथ तिवारी तनय स्व. रामविलाश तिवारी उम्र 55 वर्ष पेशा खेती
 (2) राजेन्द्र प्रसाद तिवारी तनय स्व. रामविलाश तिवारी उम्र 45 वर्ष,
 पेशा खेती
 (3) भगौतिया देवी बेवा स्व. रामविलाश तिवारी उम्र-70 वर्ष घरकार्य /
 कृषि सभी निवासी ग्राम लौआ, तहसील सिहाबल, थाना बहरी,
 जिला सीधी (म.प्र.) -----निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री देवी प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम लौआ,
 तहसील सिहाबल, थाना बहरी, जिला सीधी (म.प्र.)

13

---गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर
 आयुक्त रीवा संभाग रीवा के निगरानी
 प्रकरण क्रमांक 329/निगरानी/08-09
 आदेश दिनांक 10/07/12

9/4/13

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व
 संहिता

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है:-

1. यह कि विवादित भूमि के भूमिस्वामी उत्तरवादी के ससुर ददन राम व निगरानीकर्ता 1/2 हिस्से एवं रामतेज, ऋषि केश, रामप्रसाद तनय रामदयाल, मु. छोहरिया बेबा रामदयाल 1/2 हिस्से के भूमि स्वामी थे, इनसब भूमिस्वामियों के बीच वर्ष 1994-95 तक विधिवत वटवारा न होने के कारण भूमि की आपसी व्यवस्था मुताविक काश्त कर रहे हैं। इसी अनुसार विवादित भूमि के अंश क्षेत्र 0.35 एकड़ पर निगरानीकर्ता का बिज दाखिल है इसी आराजी के अंश रकवे पर निगरानीकर्ता घर बनाकर आवाद है, माकान

दीनानाथ तिवारी

